FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ......मुकाम......

हेमाराम वगैरा बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रपवाद 88,188 Rtn Act नं. 206 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rtn Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6/01/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/01/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री नरपत पुनड़ द्वारा वकालतनामा मय ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया व वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 व PW-2 के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 प्रतिवादी स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। एवम् वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से 16 को तर्क किया गया जिनसे कोई ईत्तलाह नहीं चाही गई। वादी वकील की बहस सुनी गई, प्रतिवादी संख्या-1 के ईकबाली जवाबदावा व कागजात की उक्त भूमि पैतृक होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पत्र जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	खेताराम Hemaram ढमाराम प्रतिवादी 2 से 16 तक किया [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 206/2019

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

वादीगण:

1. हेमाराम पुत्र खेताराम
2. जगमालराम पुत्र खेताराम
3. ओमप्रकाश पुत्र खेताराम
   जातियान्–जाट, निवासीयान–पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रतिवादी:

1. खेताराम पुत्र घमण्डाराम
2. देराजराम पुत्र वीरमाराम
3. गोरधनराम पुत्र वीरमाराम
4. लिछमणाराम पुत्र वीरमाराम
5. तुलसाराम पुत्र किरताराम
6. रेखाराम पुत्र किरताराम
7. मगाराम पुत्र किरताराम
8. खेराजराम पुत्र गोमाराम
9. मेहराराम पुत्र गोमाराम
10. हेमाराम पुत्र गोमाराम
11. भंवराराम पुत्र गोमाराम
12. गुमनी पत्नी गोमाराम
13. पनाराम पुत्र देवाराम
14. उदाराम पुत्र देवाराम
15. गेनी पत्नी देवाराम
    जातियान्–जाट, निवासीयान–पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर
16. शाखा प्रबन्धक जेटीजीबी सवाऊ पदमसिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक 6/1/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 527, 578 रकबा क्रमशः 259.02, 332.08 बीघा व मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 276, 278 रकबा क्रमशः 00.05, 314.11 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज घमण्डाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त [illegible] से [illegible]जा काश्त है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested

र वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी ऽ और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 2 से 16 औपचारिक पक्षकार बनाये गये है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा घमण्डाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण घमण्डाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 527, 578 रकबा कमशः 259.02, 332.08 बीघा व मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 276, 278 रकबा कमशः 00.05, 314.11 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। वादीगण का हिस्सा पूर्व की निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

हेमाराम पुत्र खेताराम वगैरह — खेताराम पुत्र घमण्डाराम वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–206 / 19. **निर्णय दिनांक :–** 6/1/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.01.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 527, 578 रकबा क्रमशः 259.02, 332.08 बीघा व मौजा पटाली नाडी पटवार मण्डल रतेउ के खेत खसरा नम्बर 276, 278 रकबा क्रमशः 00.05, 314.11 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार गिड़ा निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 6/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी

वादीगण

1. हेमाराम पुत्र खेताराम
2. जगमालराम पुत्र खेताराम
3. ओमप्रकाश पुत्र खेताराम
   जातियान्–जाट, निवासीयान–पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादी

1. खेताराम पुत्र घमा[illegible]
2. देराजराम पुत्र वीरमा[illegible]
3. गोरधनराम पुत्र वीरमा[illegible]
4. लिछमणाराम पुत्र वीरमा[illegible]
5. तुलसाराम पुत्र किरताराम
6. रेखाराम पुत्र किरताराम
7. मगाराम पुत्र किरताराम
8. खेराजराम पुत्र गोमाराम
9. मेहराराम पुत्र गोमाराम
10. हेमाराम पुत्र गोमाराम
11. भंवराराम पुत्र गोमाराम
12. गुमनी पत्नी गोमाराम
13. पनाराम पुत्र देवाराम
14. उदाराम पुत्र देवाराम
15. गेनी पत्नी देवाराम
    जातियान्–जाट, निवासीयान–पूनियों का तला, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर
16. शाखा प्रबन्धक जेटीजीबी सवाऊ पदमसिंह

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested